

कार्यालय-नगर पालिका परिषद अकबरपुर, अम्बेडकरनगर

पत्रांक:- 751/न.पा.परि.अ./ई.नि.सू./2017-18 दिनांक 21/03/2018

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

समस्त अधिकृत सेवाप्रदाता संस्थाओं/पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद अकबरपुर को अपने आवश्यक कार्यों (नलकूप संभालन, सफाई कार्य, कम्प्यूटर संभालन, वाहन चालन व अन्य कार्य) के संभालन हेतु निम्नांकित विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवधि (01.04.2018 से 31.03.2019) हेतु दिनांक 22.03.2018 से दिनांक 29.03.2018 को दोपहर 12:00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। ई-टेंडरिंग के माध्यम से आनलाइन निविदा www.e-tender.up.nic.in वेबसाइट पर दिनांक- 22.03.2018 को दोपहर 12:00 बजे से दिनांक- 29.03.2018 को दोपहर 12:00 बजे तक डाउनलोड की जा सकती है। जो उसी दिन को समय 04:00 बजे खोली जायेगी। निर्धारित विधि को अवकाश होने की दशा में उक्त निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी। टेंडर फार्म का मूल्य रु-1000.00 (एक हजार) मात्र निर्धारित है। निविदा डालने हेतु आवश्यक सर्तों का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र.सं	श्रमिक का विवरण
1.	कार्यालय कार्य हेतु
2.	कम्प्यूटर आपरेटर
3.	फ्लम्बर/पाइप लाइन मिस्त्री
4.	पम्प चालक
5.	वाहन चालक
6.	डेलर
7.	चौकीदार
8.	सोनी कुली
9.	जे.सी.डी.आई.वी. ड्राइवर
10.	सफाई श्रमिक

निविदा की शर्तें-

1. निविदा स्वीकृत हो जाने पर फार्म को रु-50000.00 (पु) पचास हजार) मात्र की जमानत धनराशि एफ.डी.आर.ओ अक्षय नकद के रूप में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद अकबरपुर के पक्ष में बंधक जमा करनी होगी।
2. संस्था को रु-100.00 (एक सौ) रुपये मात्र के जनरल स्टाम्प पेपर पर नगर पालिका परिषद अकबरपुर के पक्ष में अनुबन्ध मात्र भरकर देना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध न करने की दशा में जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
3. निविदा में ओवर राइटिंग एवं कटिंग मान्य नहीं होगी।
4. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद अकबरपुर को सुरक्षित होगा।
5. सेवाप्रदाता/ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये पम्प आपरेटर हेतु श्रमिकों में आई.सी.डी.आई.वी. इलेक्ट्रिशियन/जीटर ट्रेड को वरीयता दी जायेगी।
6. सेवाप्रदाता/ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर आपरेटर की योग्यता डी.सी.पी.ए.ए./ए.डी.पी.सी.पी.ए.ए./पी.सी.पी.सी.पी.पी.ए. एवं अनुवत्त 03 वर्ष का कार्य का अनुभव अनिवार्य होगा।
7. पालिका द्वारा श्रमिकों को संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।
8. निविदाप्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों के साथ कार्य करने के दौरान दुर्घटना/घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी सेवा प्रदाता/ठेकेदार की होगी।
9. निविदा में दी गयी दर कम्प्यूटर आपरेटर के लिए प्रतिमाह एवं अन्य के लिए प्रतिदिन दर्शायी गयी है।
10. ठेकेदार को श्रम विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
11. निविदाप्रदाता को रु-10.00 लाख (दस लाख) का वित्तीय प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. सेवाप्रदाता को रु-20.00 लाख (बीस लाख) की बैंक गारन्टी नगर पालिका परिषद अकबरपुर के पक्ष में 15 माह की अवधि के लिए अनुबन्ध के सम्यग् देना अनिवार्य होगा।
13. उपलब्ध कराये गये श्रमिकों को पूर्णतः स्वस्थ एवं हस्तपुष्ट होना चाहिए।
14. निविदाप्रदाता/फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों के पहचान-पत्र हेतु प्रमाण-पत्र जैसे-वोटर आई.डी./आधार कार्ड आदि का होना आवश्यक है।
15. उपरोक्त के अतिरिक्त यदि अन्य कोई जानकारी करना हो तो पालिका कार्यालय के किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में की जा सकती है।

अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद
 अकबरपुर-अम्बेडकरनगर

अध्यक्ष
 नगर पालिका परिषद
 अकबरपुर-अम्बेडकरनगर

को अन्य सभी शिकायतों के निस्तारण के संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। मालाधिकारी ने किसान हित से जुड़ी समस्याओं को संघर्षता से लदे हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थितिगतता कतई बदरत नहीं की जायेगी। साथ ही कहा कि फसल बीमा कंपनी के साथ प्रभावित क्षेत्र के गांवों में बैठक करें, जिससे नुकसान का सही आकलन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि जिस विभाग की सड़क है यदि उस पर किसी विभाग को अपना कार्य कराना है तो उसे संबंधित विभाग से अनुमति लेना जरूरी होगा।

ने की बैठक

अधिशासी अधिकारी राजा राम को दी। वहीं बिजली विभाग के जे.ई.से साफ शब्दों में कहा की नगर क्षेत्र में लटक रहे बिजली के तारों को 24 तारीख तक टाईट कर दिया जाय तथा क्षेत्राधिकारी उमेश चन्द्र त्यागी ने थाना अध्यक्ष अमित तोमर से कारखे सहित क्षेत्र में होने वाले रामनवमी जुलूस में शान्ती व्यवस्था पर पैनी नजर रखने की हिदायत दी।

इस शान्ती समिति बैठक में नवनीत शुक्ला पूर्वअध्यक्ष नं. पं. मौरावा मदन चौरसिया सुनील मिश्रा सोनू पाठक राधेश्याम साहू अजय त्रिवेदी मधुर करदिवेदी बदरुजम्मा खां अली इमाम पुष्कर सोनी अनुराग सोनी अशु शुक्ला सुनील सविता मोहित त्रिवेदी चौरन्दर द्विवेदी पवन सिंह विनोद दीक्षित नीरज सोनी सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया।

र होगी चर्चा

लों में 17 लोगों के आईआर दर्ज

। महिला थाने में दहेज के लिए मामले दर्ज हुए हैं। दहेज के लिए जान गी गालीज करने के आरोप में 17 को कुमार पुत्री दीनदयाल निवासी जसोली कुमार पुत्र थान सिंह निवासी मैकुरी फ रिपोर्ट दर्ज कराई है। विवाहिता ने व ससुरालीजन लगातार उसे अतिरिक्त की मांग पूरी नहीं होने पर मारपीट तथा ने पर जान से मारने का धमकी दी जा बाजार का है। वहां पूजा पत्नी कर्मवीर श्री गुरुपगंज थाना कोसीकलां ने पति सहित पांच लोगों के खिलाफ दहेज चैन तथा 50 हजार रुपये नकद लाने इत करने का आरोप लगाया है। पूजा लगातार उसे दहेज के लिए प्रताड़ित ताना जुरहरा भरतपुर राजस्थान का है, कराई गयी है।